



2026:AHC:126952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 16322/2026

अनिल कुमार जैन

----- आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----- विपक्षी (गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : जय राज

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : आदेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता, जितेंद्र बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत प्रार्थनापत्र मामले अपराध संख्या 224/2025, धारा 61(2), 3(5), 340(2), 336(3), 338, 318(4) बीएनएस, पुलिस स्टेशन फ्रेंड्स कॉलोनी, जिला इटावा में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

आवेदनकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी है कि आवेदनकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदनकर्ता का नाम नहीं था और जांच के दौरान उसे बेवजह फंसाया गया है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जांच के दौरान, आवेदनकर्ता का नाम साइबर सेल द्वारा प्रस्तुत एक आख्या के आधार पर ही सामने आया, जिसमें उस आईपी पते का खुलासा किया गया था जिसके माध्यम से कथित तौर पर जीएसटी पोर्टल तक पहुंचा गया था। उनका तर्क है कि जांच अधिकारी ने उक्त आईपी पते का पता लगाया और पाया कि यह आवेदनकर्ता के आवास पर स्थापित वाई-फाई कनेक्शन से संबंधित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उक्त वाई-फाई कनेक्शन का उपयोग सह-आरोपी मनीष कुमार मालू कर रहा था। इसलिए, केवल आईपी पते का आवेदनकर्ता के वाई-फाई कनेक्शन से पता चलने मात्र से आवेदनकर्ता पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता है। आगे

यह भी कहा गया है कि कर विभाग के संबंधित अधिकारियों को बचाने के लिए जांच अधिकारी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने आवेदनकर्ता को झूठा फंसाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर एक फर्म का जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया गया था और उसके माध्यम से लेन-देन किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ। जांच करने पर कथित तौर पर यह पाया गया कि दिए गए पते पर ऐसी कोई फर्म मौजूद नहीं थी। हालांकि, आवेदक का कथित फर्म की स्थापना, उसके जीएसटी पंजीकरण या जीएसटी विवरणी दाखिल करने से कोई संबंध स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज अभिलेख में मौजूद नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कथित फर्मों से जुड़े व्यक्तियों से कोई टेलीफोन संपर्क नहीं था और आवेदक तथा उक्त फर्मों के बीच किसी भी वित्तीय लेन-देन का कोई सबूत नहीं है। आवेदक को कथित लेन-देन से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वह कथित धोखाधड़ी का लाभार्थी नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को केवल इस आधार पर फंसाया गया है कि जीएसटी विवरणी दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया आईपी पता कथित तौर पर उसके निवास पर स्थापित वाई-फाई कनेक्शन से मेल खाता है। इस परिस्थिति के अलावा, आवेदक के पास से कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। इस प्रकार, इस स्तर पर आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है और वह 8 अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में है। अंत में उन्होंने कहा कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक धोखाधड़ीपूर्ण जीएसटी पंजीकरण और विवरणी दाखिल करने से संबंधित एक गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल है, जिससे राज्य की निधि को नुकसान हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं जो प्रथम दृष्टया आवेदक की संलिप्तता दर्शाते हैं, इसलिए इस स्तर पर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और धोखाधड़ीपूर्ण जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित हैं, जिससे राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत प्रथम दृष्टया कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता दर्शाते हैं।

आवेदक की ओर से अपनी निर्दोषता और झूठे फँसाए जाने के संबंध में दिए गए तर्क बचाव पक्ष के मामले हैं, जिनकी इस स्तर पर विस्तार से जांच नहीं की जा सकती है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका और अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(जय प्रकाश तिवारी, जे.)

11 जून, 2026